

प्रेस-विज्ञप्ति**थाना मुबारकपुर****दूसरे के लाइसेन्सी असलहे के साथ नुमाइस करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 03.06.2022 को उ0नि0 राजीव कुमार सिंह मय हमराह द्वारा थाना स्थानीय पर अभियुक्त मो0 हैदर पुत्र मो0 हसन निवासी ग्राम सैयद बाडा थाना मुहम्मदाबाद जनपद आजमगढ़ द्वारा दूसरे व्यक्ति का असलहा लेकर फोटो खिचवाने और दिखाकर आम जनमानस मे डराने धमकाने के सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 157/2022 धारा 3/30 आयुद्ध अधिनियम बनाम मो0 हैदर पुत्र मो0 हसन निवासी ग्राम सैयद बाडा थाना मुहम्मदाबाद जनपद आजमगढ़ पजीकृत किया गया।

दिनांक 03.06.2022 को उ0नि0 राजीव कुमार सिंह मय हमराह द्वारा क्षेत्र मे अपराध एवं अपराधियो की चेकिंग मे मसरूफ थे कि मुखबिर खास की सूचना पर दूसरे व्यक्ति का असलहा लेकर फोटो खिचवाने और दिखाकर आम जनमानस मे डराने धमकाने वाले व्यक्ति मो0 हैदर पुत्र मो0 हसन निवासी ग्राम सैयद बाडा थाना मुहम्मदाबाद जनपद आजमगढ़ को कटरा तिराहा से समय करीब 07.10 बजे प्रातःगिरफ्तार किया गया जिसके सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 157/2022 धारा 3/30 आयुद्ध अधिनियम बनाम मो0 हैदर पुत्र मो0 हसन निवासी ग्राम सैयद बाडा थाना मुहम्मदाबाद जनपद आजमगढ़ पजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना उ0नि0 अश्वनी कुमार मिश्रा द्वारा प्रचलित है। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 157/2022 धारा 3/30 आयुद्ध अधिनियम थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम -

1. उ0नि0 राजीव कुमार सिंह थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

2. हे0का0 रविन्द्र सिंह थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

थाना-जहानागंज**हत्या का प्रयास करने वाले 06 नफर अभियुक्त गिरफ्तार, आलाकल्ल 01 डंडा बरामदा।**

पूर्व की घटना- वादी श्री चतुरी यादव पुत्र रम्मल यादव ग्राम अमदही थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ के लिखित तहरीर पर मु0अ0सं0 222/22 धारा 323, 504, 506, 308, 304, 458, 34 भादवि बनाम 1. परदेशी पुत्र रम्मल यादव, 2. धमेन्द्र, 3. राधेश्याम, 4. रोहित यादव पुत्र गण परदेशी यादव 5. जानकी यादव पत्नी राधेश्याम यादव 6. दुर्गावती यादव पत्नी परदेशी यादव निवासीगण अमदही थाना जहानागंज आजमगढ़ के पंजीकृत होकर विवेचना अमल में लायी गयी।

दिनांक- 03.06.2022 को उ0नि0 धनश्याम यादव हमराह को सूचना मिली कि उपरोक्त मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्तपरदेशी मोड पर मौजूद है तथा कही जाने की फिराक मे है यदि आप जल्दी करेंगे तो पकड़ा जा सकते है। इस सूचना पर तत्काल परदेशी मोड पहुंचे तो अभियुक्तउपरोक्त परदेशी मोड तिराहे पर कही जाने के लिए बस का इन्तेजार कर रहे थे कि 06 व्यक्तियों को पुलिस बल के सहयोग से पकड़ लिया गया। उपरोक्त अभियुक्तों को हिरासत पुलिस मे समय करीब 08.35 बजे गिरफ्तार किया गया। और बारी बारी से नाम पता पूछा गया तो अपना नाम पता क्रमशः 1. परदेशी यादव पुत्र रम्मल यादव 2. धर्मेन्द्र यादव पुत्र परदेशी यादव 3. राधेश्याम यादव पुत्र परदेशी यादव 4. रोहित यादव पुत्र परदेशी यादव निवासीगण ग्राम अमदही थाना जहानागंज आजमगढ़ 5 जानकी पत्नी राधेश्याम यादव 6. दुर्गावती यादव पत्नी परदेशी यादव निवासीगण ग्राम अमदही थाना जहानागंज आजमगढ़ जमा तलासी ली गयी कोई सय बरामद नही हुआ। उसके उपरान्त घटना मे प्रयुक्त आलाकल्ल के बारे मे पूछा गया तो बताये की घर के पास छुपाकर रखे है अभि0गण की निशानदेही पर घर के पास ले जाया गया और अभि0 राधेश्याम की निशानदेही पर घर के पास रखे घटना मे प्रयुक्त कोचनी व अभि धर्मेन्द्र की निशानदेही पर घटना मे प्रयुक्त डण्डा की वरामदगी की गया गिफ्तार अभियुक्तो का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग:-

मु0अ0सं0 222/22 धारा 323, 504, 506, 308, 304, 458, 34 भादवि थाना जहानागंज आजमगढ़
बरामदगी

घटना मे प्रयुक्त कोचनी व घटना मे प्रयुक्त डण्डा की वरामदगी

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1.परदेशी यादव पुत्र रम्मल यादव उम्र 60 वर्ष
 - 2.धर्मेन्द्र यादव पुत्र परदेशी यादव उम्र 30 वर्ष
 3. राधेश्याम यादव पुत्र परदेशी यादव उम्र 28 वर्ष
 - 4.रोहित यादव पुत्र परदेशी यादव उम्र 26 वर्ष
 - 5.जानकी पत्नी राधेश्याम यादव उम्र 25 वर्ष
 - 6.दुर्गावती यादव पत्नी परदेशी यादव उम्र 58 वर्ष निवासीगण ग्राम अमदही थाना जहानागंज आजमगढ़
- गिरफ्तारी करने वाली टीम का विवरण

- 1.प्र0नि0 प्रमेन्द्र कुमार सिंह थाना जहानागंज आजमगढ़
- 2.उ0नि0 धनश्याम यादव थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़
- 3.का0अनिल कुमार थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़
- 4.का0शुभम चौधरी थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़
- 5.का0दिलराज सिंह थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़
- 6.का0 कौशल शर्मा थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़
- 7.म0आ0 पूजा सिंह परिहार थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़
- 8.म0आ0 शिखा तिवारी थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़

थाना- जहानागंज

गम्भीर रूप से मारपीट करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- वादी श्रवण पुत्र पेशु ग्राम बारीगाँव मैनुद्दीनपुर PS जहानागंज आजमगढ़ द्वारा उपस्थित थाना आकर सूचना दिये कि दिनांक 31/05/2022 को प्रार्थी व प्रार्थी के परिवार के लोग अपने घरों में अन्दर सो रहे थे। कि रात के 3 बजे के करीब मेरे ही गाँव के दीपक पुत्र पत्तू, भूषण पुत्र समबली, योगी पुत्र इन्दल, निरहू पुत्र सरदार, विपिन पुत्र मुल्ला, मुल्ला पुत्र चन्नर, टुनटुन पुत्र मुल्ला, सरिता पुत्र पत्तू, काजल पुत्र संजय, शीला पुत्र सोहित, सुमन पुत्र नीरज पुरानी जमीन विवाद व रंजिस को लेकर अपने-2 हाथों में लाठी डण्डा, फावड़ा लेकर मेरे दरवाजे पर चढ़ आये और मुझे व मेरे परिवार के हैदर पुत्र विपत, पेशु पुत्र मेहलाल, विरजू पुत्र पेशु, लालू पुत्र पेशु, बृजेश पुत्र हैदर व रतन पुत्र मेहलाल को काफी बुरी तरह से गाली गुप्ता देते हुए मारने पीटने लगे जब हम लोग अपनी जान बचाकर अपने घर के अन्दर घुस गये तो ये लोग घर के अन्दर घुस कर हम लोगों को फावड़ा व लाठी से सिर पर व पूरे शरीर पर काफी बुरी तरह से मारे पीटे इनके मारने पीटने से हैदर व पेशु व विरजू के सिर में काफी गम्भीर चोटें लगी जिससे वह मौके पर गिरकर बेहोश हो गये लिखित तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 216/22 धारा धारा 323/504/506/458/324/308/34 भादवि पंजीकृत कर अग्रिम कार्यवाही अमल में लायी गयी।

गिरफ्तारी का विवरण: दिनांक-03.06.2022 को उ0नि0 धनश्याम यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त मुल्ला नोना को ग्राम बारीगाँव मैनुद्दीनपुर से समय करीब 06.15 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग:-

मु0अ0सं0 216/22 धारा धारा 323/504/506/458/324/308/34 भादवि थाना जहानागंज आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त-

मुल्ला नोना पुत्र चन्नर नोना निवासी ग्राम मैनुद्दीनपुर बारीगाँव थाना जहानागंज आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम का विवरण

- 1- प्र0नि0 प्रमेन्द्र कुमार सिंह थाना जहानागंज आजमगढ़

2- 30नि0 घनश्याम यादव थाना जहानागंज आजमगढ़

3- का0अनिल कुमार थाना जहानागंज आजमगढ़

4-का0 शुभम चौधरी थाना जहानागंज आजमगढ़

थाना- कप्तानगंज

ग्राम बड़सरा खालसा (कोइनहा बाजार): शैलून में गले पर कैची से मारकर घायल करने वाला वाला अभियुक्त परवेज उर्फ शिबू गिरफ्तार, 01 आला कत्ल कैची बरामद।

1.पूर्व की घटना /इतिहास का विवरण- दिनांक 02.06.2022 को आवेदक श्री हरिकेश ठठेर पुत्र रामसमुझ ठठेर निवासी- बड़सरा खालसा(कोइनहा बाजार) थाना- कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ थाना स्थानीय पर शिकायत की गयी दिनांक 01/06/2022 को वादी का लड़का शिवशंकर ठठेरा बाल दाढी बनवाने के लिए परवेज उर्फ शिवू पुत्र समसाद निवासी बड़सरा खालसा थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ के दुकान पर समय करिब समय 6.30 बजे साँय गया था जहाँ पर नम्बर से बाल बनाने की बात कहने पर परवेज उर्फ शिवू उपरोक्त हिंसक होकर कैची से जान से मारने की नियत से मेरे लड़के शिवशंकर के गले मे कैची से जोरदार वार कर गम्भीर रूप से घायल कर अधमरा कर दिया आस पास के लोगो के आने पर लोगो द्वारा सदर अस्पताल आजमगढ़ लाया गया जहाँ पर मेरे लड़के की हालत नाजुक है सदर अस्पताल आजमगढ़ से लखनऊ के लिए रेफर कर दिये जहाँ पर एम्बुलैस में रखते समय मेरे लड़के शिवशंकर जिसकी उम्र करिब 22 वर्ष है कि मृत्यु हो गयी जिसका शव जिला आस्पताल के मर्चरी हाउस में रखा गया है आवेदक हरिकेश ठठेर उपरोक्त मो0नं0 9651xxxxxx के प्रस्तुत तहरीर के आधार पर थाना कप्तानगंज पर उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 156/2022 धारा 302 IPC बनाम परवेज उर्फ शिवू पुत्र समसाद निवासी बड़सरा खालसा थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ के पंजीकृत कर विवेचना संपादित की जा रही है।

दिनांक- 02.06.2022 थानाध्यक्ष कप्तानगंज मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से अभियुक्त परवेज को जेहरा पिपरी बाईपास के पास से समय करीब 22.30 बजे पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति का नाम पता पूछा गया तो अपना नाम क्रमशः 1.परवेज उर्फ शीबू पुत्र समसाद उम्र 20 वर्ष ग्राम बड़सरा खालसा थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ बताया जो उक्त मुकदमें का नामजद व वांछित अभियुक्त है।

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि उक्त घटना में प्रयोग किये गये आला कत्ल लोहे की कैची को जिसे अपने दुकान से घर जाते समय नहर की पटरी पर बनी सड़क जो कोइनहा बाजार से हेतूगंज को जाती है, के किनारे पुलिया के पास झाड़ में छिपा दिया, मौके पर पहुँचकर अभियुक्त द्वारा नहर के किनारे झाड़ में से एक लोहे की कैची समक्ष निकालकर दिया, जिसमें खून लगा हुआ था तथा बताया कि साहब यह वही कैची है, जिससे मैंने दिनांक 01.06.2022 को अपनी शैलून पर गांव के ही शिवशंकर ठठेरा पुत्र हरिकेश ठठेरा को गले में घोप दिया था तथा बाद में मुझे पता चला कि शिवशंकर उपरोक्त की मृत्यु हो गयी। अभियुक्त द्वारा बरामद कराये गये। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 156/2022 धारा 302 IPC थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. परवेज उर्फ शिवू पुत्र समसाद निवासी बड़सरा खालसा थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ उम्र 20 वर्ष।

बरामदगी

1- एक अदद आला कल्ल कैची

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम –

1. SO संजय कुमार का प्रमोद कुमार 0का रवि कुमार 0का अजय कुमार 0का प्रभात सिंह 0थाना कप्तानगंज आजमगढ़।